

Special Exclusive Excise Court, Sheikhpura

Excise Case No. 82/2017

08-07-2025

वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त बसंत मांझी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वाद की तिथि लम्बी है, ^{recall} तथा नियेदन करते हैं कि अभियुक्त धारा 37(बी) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2018 में राशि जमा करना चाहते हैं एवं दोष स्वीकार करना चाहता है। अभियुक्त का 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत ध्यान दर्ज किया गया। सुना। आज आदेश हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। अभिलेख का अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त को धारा 37(बी) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाता है एवं धारा 37(बी) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम में मो0 3500/- रुपया का अर्थदण्ड की राशि जमा करने का आदेश दिया जाता है। जुर्माना की राशि से चुक होने की स्थिति में एक माह कारावास की सजा भुगतना होगा। जुर्माना राशि प्राप्त होने के बाद छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्या0

पश्चात्

08-07-2025

उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त बसंत मांझी की ओर से मो0 3500/- रुपया की राशि का नाजीर रसीद सं. 112292 द्वारा दाखिल किया गया। अभियुक्त अर्थदण्ड की राशि जमा कर दिया है। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्या0